कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद
Office of the Pr. Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmedabad.
प्रथम तल, रूम नं.१११-११२, एनेकसी, आयकर भवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 009
1st Floor, Room No. 111-112, Annexy, Aaykar Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad 380009
(Tele & Fax: 079-27540915)

फा.सं.प्र.आ.आयु (छू.)/अहम/80जी(5)/25 / SMCSVSMS/2017-18 / 302 ता: 31.10.2017
पैन/PAN : AAHTS1386G

ट्रस्ट/कम्पनी का नाम/ Name of the Trust/ Company :- SHRI MAHAGUJARAT CHATUHSAMPRADAY SHRI VAISHNAVACHARYA SAMAJ MADHYASTH SANGH
Shree Ramanand Gurukul,
Nr. Drive In Cinema,
Thaltej Road,
Ahmedabad.

धारा 80G के अन्तर्गत स्वीकृति / पुनर्नवीकरण के लिए आवेदन –
Sub: Application for grant of Approval / renewal u/s. 80G (5) of I.T.Act, 1961 –

उपर्युक्त न्यास/संस्थान/ कम्पनी के ता 12.04.2017 के फार्म नं 10 जी में किए गए आवेदन के संदर्भ में, यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त न्यास/संस्थान/ कम्पनी को किए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) के तहत, उसमें दी गई सीमा के अंदर कटौती योग्य हैं।

With reference to application in form No.10G made by the aforesaid trust/institution/Company on 12.04.2017 it is certified that donations made to the trust/institution/Company shall qualify for deduction u/s.80G (5) of the Income-tax Act, 1961, subject to the limits prescribed therein

2. उपर्युक्त छूट ता 12.04.2017 से मान्य है। जबतक कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी पूर्व तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रद्द नहीं किया जाता।

This exemption is valid with effect from 12.04.2017 *onwards (i.e. F.Y. 2017-18 & A.Y. 2018-19)* unless cancelled by the undersigned on any prior date subject to the following conditions:-

(i) रसीदे बॉन्ड बूक प्रारूप मे रखी जानी चाहिए तथा दाताओं को जारी की गई रसीदों में इस प्रमाणपत्र के उपर्युक्त नंबर और तारीख तथा वह अवधि जिसके लिए यह मान्य है, का उल्लेख करें।
Receipts to be issued should be maintained in Bond Books. Receipts issued to the donors should bear the number and date of this certificate and indicate the period for which this certificate is valid.

(ii) उपर्युक्त न्यासी को आयकर अधिनियम 1961 ,की धारा 2(15), 11, 12, 13 एवं 80 जी की प्रावधानों का पालन करते रहना चाहिए।
The aforesaid entity should continue to fulfill the requirements of section 2(15), 11, 12, 13 and 80G of the I T Act, 1961.

(iii) आयकर अधिनियम 1961 ,की धारा 139(4A)/(4C)/(4D) के तहत आडिट रिपोर्ट के साथ, जहॉं लागू हो, सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी को नियत तारीख तक आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं बैलेन्स-शीट के साथ आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।
The Statement of Income & Expenditure Account and Balance Sheet are furnished to the concerned Assessing Officer by the due date of furnishing of return of income under section 139(4A)/(4C)/(4D) of the I T Act, 1961 every year along with the audit report, wherever applicable.

Scanned by CamScanner

SHRI MAHAGUJARAT CHATUHSAMPRADAY SHRI VAISHNAVACHARYA SAMAJ MADHYASTH SANGH

(iv) अगर विलेख/एसोसिएशन/ज्ञापन/निधि/संस्थान/न्यास/ कम्पनी के नीति नियमों में जब भी कोई संशोधन हो तो सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाए

Amendments if any made to the deed of statement/memorandum of Association/Rules Regulations of the Fund/Institution/Trust /Company are intimated to the concerned Assessing Officer, immediately whenever made.

(v) आवेदक ने संकल्प और शपथ पत्र विघटन खंड की एक प्रति दायर की है ।

The applicant has filed a copy of resolution and affidavit regarding dissolution clause.

अतः यह प्रमाण-पत्र निम्न शर्त के आधार पर जारी किया जाता है ।

Therefore, this Certificate is issued subject to following condition:

न्यास/संस्थान/कम्पनी अपरिवर्तनीय होना चाहिए । हालांकि, कुछ कारणों से न्यास/ संस्थान/कम्पनी भंगीय है, उस स्थिति में सम्पत्ति किसी भी संस्थापक, मध्यस्थ, न्यासी, दाता अथवा सदस्य आदि को देय नहीं होगी किन्तु सम्पत्ति से सम्बन्धित दायित्व किसी अन्य न्यास/संस्थान/कम्पनी को स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन गुजरात जन न्यास अधिनियम/ कम्पनी अधिनियम उच्च न्यायालय के प्रावधान अनुसार I वह अन्य न्यास/ संस्थान/कम्पनी उसी तरह की क्रियाविधि में संलग्न होना चाहिए जैसा कि यह न्यास/संस्थान/कम्पनी ।

The Trust/Institution/Company should be irrevocable. However, for some reason trust is to be dissolved then no property would go to any founder, settler, trustee or donor, member etc but the properties after meeting liabilities would go to some other trust carrying on similar activity. The transfer of properties, if any, should be as per the provisions of Gujarat Public Trust Act / Companies Act/ High Court., with the permission of Charity Commissioner/.

(vi) आवेदक विद्या शुल्क, एड्मिशन शुल्क तथा किसी अन्य प्रकार के शुल्क के रूप मे प्राप्त हुई राशी के एवज मे रसीदे जारी नहीं करेगा ।

The applicant will not issue donation receipt in leiu of education fee, admission / capitation fee or any other kind of fees received by the trust.

(vii) This certificate is issued vide registration no.

AAHTS1386G/25/17-18/T-1240/80G(5)/ Dated 31.10.2017.

Sd/-

(Rajkumar Lachhiramka)
प्रधान आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद
Pr.Commissioner of Income Tax (Exemptions),
Ahmedabad

प्रतिलिपि/Copy to :

(i) The Applicant Trust
(ii) The Addl. CIT(Exemptions), Range-1, Ahmedabad.
(iii) The Addl. CIT(Exemptions), Range-2, Ahmedabad
(iv) The Guard File.

(Pankaj Joshi)
आयकर अधिकारी (मुख्यालय)(छूट),
Income tax Officer (HQ)(E),
कृते प्रधान आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद
For Pr. Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmedabad

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद

OFFICE OF THE PR.COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS),AHMEDABAD

प्रथम मंजिल, रूम नं १११-११२, एनेक्सी, आयकर भवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद-३८०००९.

Room No. 111-112, Annexy, Aaykar Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad

(Tele & Fax: 079-27540915)

फा.सं.प्र.आ.आयु(छू.)/12एए/70/2017-18 | 515 ता: 31.10.2017

पैन/PAN : AAHTS1386G

ट्रस्ट/कम्पनी का नाम/ Name of the Trust./Company :- SHRI MAHAGUJARAT CHATUHSAMPRADAY SHRI VAISHNAVACHARYA SAMAJ MADHYASTHSANGH
Shree Ramanand Gurukul,
Nr. Drive In Cinema,
Thaltej Road,
Ahmedabad-54.

ORDER UNDER SECTION 12AA OF THE INCOME TAX ACT, 1961 IN THE CASE OF SHRI MAHAGUJARAT CHATUHSAMPRADAY SHRI VAISHNAVACHARYA SAMAJ MADHYASTHSANGH

श्री महागुजरत चतुहसमप्रदाय समाज मध्यस्थसंघ के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत आदेश

उक्त ट्रस्ट/संस्थान/कम्पनी ने दिनांक 12.04.2017 को फॉर्म सं 10ए में आवेदन किया है ट्रस्ट का गठन/ कम्पनी निर्माण दिनॉक 14.10.1958 को हुआ है और ट्रस्ट/कम्पनी का चैरिटी कमिश्नर/ रैजिस्ट्रार ओफ कम्पनी के पास पंजीकरण दिनॉक 22.03.2011 का हुआ है।

The above named Trust/Institution/Company has filed an application in Form No. 10A on Dt. 12.04.2017. Which has been created / constituted /registered on 14.10.1958 and registered with the Charity Commissioner / Registrar of Society/ Registrar of Company on 22.03.2011.

तदनुसार,ट्रस्ट/संस्थान/कम्पनी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के तहत 12.04.2017 से पंजीकृत किया जाता है.
Accordingly, the Trust/Institution/Company has been registered u/s. 12AA of the I.T. Act 1961, with effect from 12.04.2017 (i.e. F.Y.-2017-18 and A.Y .2018-2019)

इस प्रमाण पत्र द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत केवल पंजीकरण किया गया है इससे धारा 11,12 व 13 या आयकर अधिनियम 1961 के अन्य उपबन्धों के संचालन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है. इनके बारे में निर्धारण अधिकारी योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा.

This certificate testifies to the fact of registration u/s. 12AA of the I. T. Act, 1961 only. It does not confer any right or entitlement regarding operation of Sections 11, 12, & 13 or any other provisions of the IT Act, 1961 which is to be decided by the Assessing Officer on merits.

आवेदक ने विघटन खंड के लिए संकल्प की एक प्रति एवं शपतपत्र दाखिल किया है ।

The applicant has filed a copy of resolution and affidavit regarding dissolution clause.

अत: यह प्रमाण-पत्र निम्न शर्त के आधार पर जारी किया जाता है ।

Therefore, this Certificate is issued subject to following condition:

न्यास/ कम्पनी अपरिवर्तनीय होना चाहिए । हालांकि, कुछ कारणों से न्यास/कम्पनी भंगीय है, उस स्थिति में सम्पत्ति किसी भी संस्थापक, मध्यस्थ, न्यासी, दाता अथवा सदस्य आदि को देय नहीं होगी किन्तु सम्पत्ति से सम्बन्धित दायित्व किसी अन्य न्यास/कम्पनी को स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन गुजरात जन न्यास अधिनियम/ कम्पनी अधिनियम /उच्च न्यायालय के प्रावधान अनुसार वह अन्य न्यास/कम्पनी उसी तरह की क्रियाविधि में संलग्न होना चाहिए जैसा कि यह न्यास/कम्पनी.

Scanned by CamScanner

SHRI MAHAGUJARAT CHATUHSAMPRADAY SHRI VAISHNAVACHARYA SAMAJ MADHYASTHSANGH

The trust/Company/ Institution should be irrevocable. However, for some reason trust/ company/Institution is to be dissolved then no property would go to any founder, settler, trustee or donor, member etc but the properties after meeting liabilities would go to some other trust/Company/Institution carrying on similar activities. The transfer of properties, if any, should be as per the provisions of Gujarat Public Trust Act /Company's Act/High Court.

मेरे द्वारा अहमदाबाद में दिनांक 31.10.2017 पंजीकरण नंबर **AAHTS1386G/70/17-18/T-2227/12AA Dated.31.10.2017** में जारी किया गया।

Given under my hand at Ahmadabad

Under registration no. **AAHTS1386G/70/17-18/T-2227/12AA Dated.31.10.2017.**

Sd/-

(Rajkumar Lachhiramka)
प्रधान आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद
Pr .Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmedabad

प्रतिलिपि :

(1) उक्त आवेदक को / Above Applicant
(2) अपर आयकर आयुक्त (छूट) रेन्ज-1 अहमदाबाद
(3) उप आयकर आयुक्त (छूट), रेन्ज-2, अहमदाबाद
(4) गार्ड फाईल

(Pankaj Joshi)
आयकर अधिकारी (मुख्यालय)(छूट),
Income tax Officer (HQ)(E)
कृते प्रधान आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद
For Pr. Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmedabad

Scanned by CamScanner